

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-3026 /अमरोहा/25152/2017, दिनांक, लखनऊ, अप्रैल/15, 2018

सेवा में,

अपर प्रमुख मुख्य वन संरक्षक(के0),
भारत सरकार,
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय,
क्षेत्रीय कार्यालय, मध्य क्षेत्र,
केन्द्रीय भवन, पंचम तल, से0-एच, अलीगंज,
लखनऊ।

विषय : अमरोहा-कॉठ मार्ग (MDR-150) किमी0 21.840 से 26.540 तक दायीं पटरी पर उ0प्र0 जल निगम द्वारा विकसित किये जा रहे नाले के निर्माण हेतु 1.692 हे0 संरक्षित वनभूमि के गैरवानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित संशोधित 374 वृक्षों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: भारत सरकार का पत्रांक-8बी/यूपी/09/42/2017/एफसी/851, दि0 07.03.2018

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने की कृपा करें। प्रकरण में भारत सरकार के सन्दर्भित पत्र द्वारा कतिपय विन्दुओं की सूचना व अभिलेख उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गयी थी। उक्त सूचनायें सम्बन्धित कार्यालय से अपेक्षित थीं।

उक्त के क्रम में वन संरक्षक, मुरादाबाद के पत्रांक-2862/14-1, दि0 18.04.2018 द्वारा सूचना इस कार्यालय को प्रेषित की गयी है, जिसकी संलग्नक सहित एक प्रति एतत्सह संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि प्रकरण में स्वीकृति के सम्बन्ध में अग्रिम आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
✓ उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक-

उक्तदिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन, वन एवं वन्यजीव अनुभाग-2, लखनऊ।
- 2- वन संरक्षक, मुरादाबाद वृत्त, मुरादाबाद।
- 3- प्रभागीय वनाधिकारी, अमरोहा वन प्रभाग, अमरोहा।
- 4- परियोजना प्रबन्धक, यूनिट-18, सी एण्ड डी एस उ0प्र0 जल निगम, मुरादाबाद।

(डा0 प्रशान्त कुमार वर्मा)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।